कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1875/XXV–12 (1–4)/2008 देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

–: कार्यालय आदेश :–

सूचना अधिकार सम्बन्धी श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के प्रकरण पर मा0 आयोग द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में, जिसमें मा0 आयोग द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति श्री बंसत सिंह रावत, प्रवर सहायक, एवं श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि डाक विभाग के अभिलेखों से हो चुकी है, किन्तु सूचना अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्र को निस्तारण हेतु श्री रावत एवं श्री नगी एवं श्री सेमवाल द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं हो सका।

2. उक्त प्रकरण पर कार्यालय आदेश संख्या–1798 दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक एवं श्री हिमांशु नगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का स्पष्टीकरण लिया गया था और दोनो कार्मिकों के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए। दोनो स्पष्टीकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो कार्मिकों के द्वारा श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को सूचना अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्र/प्रथम अपील प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराए गए।

3. **सूचना अधिकार सम्बन्धी कार्यों के प्रति लापरवाही, शिथिलता और उदासीनता के दृष्टिगत श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ट सहायक की वर्ष 2015–16 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रतिष्टि अंकित की जाय।**

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पृ0संख्या /XXV–12(1–4)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून को अपील संख्या–A(D)-16123/2014 में पारित मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह तद्नुसार उक्त कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करना सुनिश्चित करें।

3. श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

4. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1875 /XXV–12 (1–4)/2008 देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

–: कार्यालय आदेश :–

सूचना अधिकार सम्बन्धी श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून के प्रकरण पर मा0 आयोग द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में, जिसमें मा0 आयोग द्वारा श्री हर्ष रतूड़ी के सूचना अधिकार संबंधी आवेदन पत्र की प्राप्ति श्री बंसत सिंह रावत, प्रवर सहायक, एवं श्री हिमांशु नेगी, कनिष्ठ सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि डाक विभाग के अभिलेखों से हो चुकी है, किन्तु सूचना अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्र को निस्तारण हेतु श्री रावत एवं श्री नगी एवं श्री सेमवाल द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उक्त आवेदन का समय पर निस्तारण नहीं हो सका।

2. उक्त प्रकरण पर कार्यालय आदेश संख्या–1798 दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री बसंत सिंह रावत, प्रवर सहायक एवं श्री हिमांशु नगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का स्पष्टीकरण लिया गया था और दोनो कार्मिकों के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए। दोनो स्पष्टीकरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनो कार्मिकों के द्वारा श्री दीपक सेमवाल, सम्बन्धित पटल सहायक को सूचना अधिकार सम्बन्धी आवेदन पत्र/प्रथम अपील प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराए गए।

3. सूचना अधिकार सम्बन्धी कार्यों के प्रति लापरवाही, शिथिलता और उदासीनता के दृष्टिगत श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ट सहायक की वर्ष 2015–16 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रतिष्टि अंकित की जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पृ0संख्या 1875 /XXV–12(1–4)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून को अपील संख्या–A(D)-16123/2014 में पारित मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह तद्नुसार उक्त कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करना सुनिश्चित करें।

3. श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

4. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक : 15057/अपील संख्या : A(D) – 16123/2014/ दिनांक : 22.12. 2014

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मंख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014 : **श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 19/12/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

20.12.14

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

19/12/2014
PIO
19/12/14

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

दिनांक 03/12/14 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया था कि उनके कार्यालय में अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपील के पत्रों को डाक विभाग से प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही कर अपनी स्पष्ट आख्या आज आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें.

2. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं. उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्रीमती राधा रतूड़ी की आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि दोनों कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के कम में अब तीनों कार्मिकों के संयुक्त रूप से बयान लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, तथा तीनों कार्मिकों से बयान प्राप्त करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर दोषी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये आयोग को अनुपालन से अवगत कराया जायेगा.

3. अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी हो उसके सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या दिनांक 29/12/14 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

4. अपीलकर्ता के मूल अनुरोध पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी को आयोग द्वारा प्रेषित इस द्वितीय अपील के साथ प्राप्त हो गयी है. अतः लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मूल अनुरोध पत्र में वर्णित अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 16/07/14 पर जो कार्यवाही उनके द्वारा की गयी हो, उसकी सूचना अपीलकर्ता को लिखित रूप में उपलब्ध करायें तथा आयोग को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें.

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए पत्रावली 29/12/14 को प्रस्तुत हो.

19/12

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
19.12.2014

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक :15054/ (अपील संख्या : A(D) – 16123/2014/ दिनांक : 22.12. 2014

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3. मंख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014 : **श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 19/12/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

20.12.14

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।

संलग्न : यथोपरि।

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

19/12/2014
PIO
19/12/14

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

दिनांक 03/12/14 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया था कि उनके कार्यालय में अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपील के पत्रों को डाक विभाग से प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही कर अपनी स्पष्ट आख्या आज आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें.

2. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं. उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्रीमती राधा रतूड़ी की आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि दोनों कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के क्रम में अब तीनों कार्मिकों के संयुक्त रूप से बयान लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, तथा तीनों कार्मिकों से बयान प्राप्त करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर दोषी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये आयोग को अनुपालन से अवगत कराया जायेगा.

3. अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी हो उसके सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या दिनांक 29/12/14 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

4. अपीलकर्ता के मूल अनुरोध पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी को आयोग द्वारा प्रेषित इस द्वितीय अपील के साथ प्राप्त हो गयी है. अतः लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मूल अनुरोध पत्र में वर्णित अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 16/07/14 पर जो कार्यवाही उनके द्वारा की गयी हो, उसकी सूचना अपीलकर्ता को लिखित रूप में उपलब्ध करायें तथा आयोग को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें.

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए पत्रावली 29/12/14 को प्रस्तुत हो.

19/12/14
(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
19.12.2014

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक : 15654 / (अपील संख्या : A(D) – 16123/2014/ दिनांक : 22.12.2014

1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3. मंख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014 : **श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 19/12/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

20.12.14

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

19/12/2014
PIO
19/12/14

अपील संख्या : A(D) - 16123/2014

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. लोक सूचना अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा :

दिनांक 03/12/14 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया था कि उनके कार्यालय में अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपील के पत्रों को डाक विभाग से प्राप्त करने के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही कर अपनी स्पष्ट आख्या आज आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें.

2. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. श्री मस्तू दास, अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हैं. उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्रीमती राधा रतूड़ी की आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि दोनों कार्मिकों के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के क्रम में अब तीनों कार्मिकों के संयुक्त रूप से बयान लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, तथा तीनों कार्मिकों से बयान प्राप्त करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर दोषी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये आयोग को अनुपालन से अवगत कराया जायेगा.

3. अतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध जो कार्यवाही की गयी हो उसके सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या दिनांक 29/12/14 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

4. अपीलकर्ता के मूल अनुरोध पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी को आयोग द्वारा प्रेषित इस द्वितीय अपील के साथ प्राप्त हो गयी है. अतः लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मूल अनुरोध पत्र में वर्णित अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 16/07/14 पर जो कार्यवाही उनके द्वारा की गयी हो, उसकी सूचना अपीलकर्ता को लिखित रूप में उपलब्ध करायें तथा आयोग को अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें.

5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करने तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने तथा अपील पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए पत्रावली 29/12/14 को प्रस्तुत हो.

19/12

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त
19.12.2014

पंजीकृत

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक 13718/(अपील संख्या : A(D) - 16057/2014/ दिनांक : 20.11. 2014

1. लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

प्रतिलिपि

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

अपील संख्या : **A(D) - 16057/2014 : श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 19/11/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

20/11/14

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।

संलग्न : यथोपरि।

सचिव

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : **A(D) - 16057/2014**

समक्ष : एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी : 1. लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि 1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून

आदेश

यह अपील श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के विरूद्ध की गयी है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है.

2. अपीलकर्ता के द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 के द्वारा इण्डिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट सेवा दिनांक 03/07/14 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को पृष्ठांकित प्रार्थना पत्र पर उनके कार्यालय के स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता को कोई सूचना समय से नहीं दी गयी, परन्तु अपीलकर्ता के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को पत्र संख्या संख्या 1707 दिनांक 29/10/14 प्रेषित किया गया, जिसमें अपीलकर्ता/श्री हर्ष रतूड़ी के पत्र दिनांक 04/06/14, जो जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित है, की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने हेतु लिखा गया.

3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1716 दिनांक 03/11/14 के द्वारा यह सूचित किया गया कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है तथा प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान होने की सूचना दी गयी. इस प्रकार अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 पर लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग

अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्री मस्तू दास द्वारा अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त दिनांक 03/11/14 को अपीलकर्ता को सूचना प्रेषित की गयी.

4. दिनांक 11/11/14 की सुनवाई पर आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 पर अत्यन्त विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने पर क्यों न अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध शास्ति आरोपित कर दी जाये?

5. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्री मस्तू दास उपस्थित हैं. उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया. प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया.

6. आज प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कहा गया है कि *अपीलकर्ता के द्वारा उनके पत्र दिनांक 04/06/14 में वांछित सूचना इस उद्देश्य से नहीं प्रेषित की गयी कि शिकायती पत्र सीधे रिटर्निंग आफिसर–05, हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित था तथा प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पृष्ठांकित की गयी थी. इस शिकायती पत्र पर सीधे रिटर्निंग आफिसर/ जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा ही अपेक्षित जांच/कार्यवाही कर नियमानुसार निस्तारण किया जाना था जो वर्तमान में उनके स्तर पर गतिमान है.*

7. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है. यदि अपीलकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 04/06/14 रिटर्निंग आफिसर से सम्बन्धित था तो लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वह उक्त पत्र पर सूचना देने के लिए पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार को अन्तरित करते. परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उनके द्वारा अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 03/11/14 को अपीलकर्ता को यह सूचित किया गया कि *उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है. उनके द्वारा आपकी शिकायत में उल्लिखित विभागों से सूचनायें प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान है.* .

8. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा इस प्रकार अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र पर अत्यन्त विलम्ब से सूचना दी गयी तथा अधिनियम की धारा 7(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है. अतः लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 11/11/14 को दिये गये कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है तथा अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत **लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्री मस्तू दास पर रु. 5000/– (रु. पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है.** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपित शास्ति की वसूली श्री मस्तू दास के आगामी दो माह के वेतन से दो समान किश्तों में की जाये तथा शास्ति की राशि को प्रत्येक माह सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के राजस्व खाते में जमा करा कर आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित की जानी सुनिश्चित की जाये.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून

आदेश की **प्रति वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून को** इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके द्वारा उपरोक्त शास्ति की वसूली सुनिश्चित की जाये.

10. अपीलकर्ता के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में प्रथम अपील भी की गयी थी परन्तु उसका निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है. अपीलकर्ता के द्वारा स्पीड पोस्ट दिनांक 23/08/14 के माध्यम से प्रथम अपील प्रेषित किया जाना बताया गया. उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रथम अपील को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके द्वारा दिनांक 23/08/14 को ही प्रेषित किया गया था, परन्तु गलती से प्रथम अपील पर उनके द्वारा दिनांक 24/08/14 अंकित की गयी है. अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील प्रेषित किये जाने के प्रमाण के रूप में पोस्ट ऑफिस का ट्रैक रिज़ल्ट भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 25/08/14 को जी.पी.ओ. देहरादून से अपरान्ह 4:36 पर उक्त डाक को प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराया गया है. श्रीमती सौजन्या, प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज प्रस्तुत अपने लिखित अभिकथन दिनांक 18/11/14 में उक्त प्रथम अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई आख्या नहीं दी गयी है. सुनवायी के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि उक्त प्रथम अपील उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है. जबकि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पोस्ट ऑफिस के ट्रैक रिज़ल्ट के अनुसार दिनांक 25/08/14 को प्रथम अपील से सम्बन्धित डाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त करायी गयी है. अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्पीड पोस्ट संख्या EV52195524IN जो कि जी.पी.ओ. देहरादून से उनके कार्यालय में दिनांक 25/08/14 को प्राप्त कराया गया था के सम्बन्ध में जांच करें कि उक्त डाक उनके सम्मुख किन कारणों से प्रस्तुत नहीं की गयी, तथा इस सम्बन्ध में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही कर आयोग को स्पष्ट आख्या भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें

11. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार के द्वारा अपीलकर्ता के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी हो, उसकी आख्या प्राप्त कर अपीलकर्ता को उसकी प्रति पंजीकृत डाक से प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित करें.

उपरोक्त निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है.

आदेश की प्रति उभय पक्षों को आदेश के अनुपालनार्थ निर्गत हो.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.

19/11/2014

19/11/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

पंजीकृत

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष:0135–2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक :13718/(अपील संख्या : A(D) - 16057/2014/ दिनांक : 20.11.2014

1. लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

प्रतिलिपि

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

अपील संख्या : **A(D) - 16057/2014 : श्री हर्ष रतूड़ी** बनाम **लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून** व अन्य में आयोग द्वारा दिनांक 19/11/2014 को पारित अन्तरिम आदेश की प्रति आपको इस आशय से सम्प्रेषित की जा रही है कि अंतरिम आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अगली सुनवाई की तिथि तक अथवा उससे पूर्व आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

20/11/14

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि :
अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून ।
संलग्न : यथोपरि।

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : A(D) - 16057/2014

समक्ष : एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री हर्ष रतूड़ी, 130/77 कालीदास मार्ग, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी : 1. लोक सूचना अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि 1. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून

आदेश

यह अपील श्री हर्ष रतूड़ी द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के विरूद्ध की गयी है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनके अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है.

2. अपीलकर्ता के द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 के द्वारा इण्डिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट सेवा दिनांक 03/07/14 के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को पृष्ठांकित प्रार्थना पत्र पर उनके कार्यालय के स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता को कोई सूचना समय से नहीं दी गयी, परन्तु अपीलकर्ता के द्वारा आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को पत्र संख्या संख्या 1707 दिनांक 29/10/14 प्रेषित किया गया, जिसमें अपीलकर्ता/श्री हर्ष रतूड़ी के पत्र दिनांक 04/06/14, जो जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित है, की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने हेतु लिखा गया.

3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को पत्र संख्या 1716 दिनांक 03/11/14 के द्वारा यह सूचित किया गया कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है तथा प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान होने की सूचना दी गयी. इस प्रकार अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 पर, लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग

अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्री मस्तू दास द्वारा अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त दिनांक 03/11/14 को अपीलकर्ता को सूचना प्रेषित की गयी.

4. दिनांक 11/11/14 की सुनवाई पर आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र दिनांक 19/07/14 पर अत्यन्त विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने पर क्यों न अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध शास्ति आरोपित कर दी जाये?

5. आज अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्री मस्तू दास उपस्थित हैं. उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया. प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया है जिसे पत्रावली का भाग बनाया गया.

6. आज प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कहा गया है कि *अपीलकर्ता के द्वारा उनके पत्र दिनांक 04/06/14 में वांछित सूचना इस उद्देश्य से नहीं प्रेषित की गयी कि शिकायती पत्र सीधे रिटर्निंग आफिसर–05, हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को सम्बोधित था तथा प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पृष्ठांकित की गयी थी. इस शिकायती पत्र पर सीधे रिटर्निंग आफिसर/ जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा ही अपेक्षित जांच/कार्यवाही कर नियमानुसार निस्तारण किया जाना था जो वर्तमान में उनके स्तर पर गतिमान है.*

7. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा दिया गया उक्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है. यदि अपीलकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 04/06/14 रिटर्निंग आफिसर से सम्बन्धित था तो लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वह उक्त पत्र पर सूचना देने के लिए पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार को अन्तरित करते. परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उनके द्वारा अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 03/11/14 को अपीलकर्ता को यह सूचित किया गया कि *उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को जांच अधिकारी नामित किया गया है. उनके द्वारा आपकी शिकायत में उल्लिखित विभागों से सूचनायें प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान है.* .

8. लोक सूचना अधिकारी के द्वारा इस प्रकार अपीलकर्ता के अनुरोध पत्र पर अत्यन्त विलम्ब से सूचना दी गयी तथा अधिनियम की धारा 7(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है. अतः लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 11/11/14 को दिये गये कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है तथा अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत **लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड श्री मस्तू दास पर रु. 5000/– (रु. पांच हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है.** मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपित शास्ति की वसूली श्री मस्तू दास के आगामी दो माह के वेतन से दो समान किश्तों में की जाये तथा शास्ति की राशि को प्रत्येक माह सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के राजस्व खाते में जमा करा कर आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित की जानी सुनिश्चित की जाये.

9. आदेश की **प्रति वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून को** इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके द्वारा उपरोक्त शास्ति की वसूली सुनिश्चित की जाये.

10. अपीलकर्ता के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में प्रथम अपील भी की गयी थी परन्तु उसका निस्तारण प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है. अपीलकर्ता के द्वारा स्पीड पोस्ट दिनांक 23/08/14 के माध्यम से प्रथम अपील प्रेषित किया जाना बताया गया. उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रथम अपील को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके द्वारा दिनांक 23/08/14 को ही प्रेषित किया गया था, परन्तु गलती से प्रथम अपील पर उनके द्वारा दिनांक 24/08/14 अंकित की गयी है. अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील प्रेषित किये जाने के प्रमाण के रूप में पोस्ट ऑफिस का ट्रैक रिज़ल्ट भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 25/08/14 को जी.पी.ओ. देहरादून से अपरान्ह 4:36 पर उक्त डाक को प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराया गया है. श्रीमती सौजन्या, प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज प्रस्तुत अपने लिखित अभिकथन दिनांक 18/11/14 में उक्त प्रथम अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई आख्या नहीं दी गयी है. सुनवायी के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि उक्त प्रथम अपील उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है. जबकि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पोस्ट ऑफिस के ट्रैक रिज़ल्ट के अनुसार दिनांक 25/08/14 को प्रथम अपील से सम्बन्धित डाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त करायी गयी है. अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्पीड पोस्ट संख्या EV52195524IN जो कि जी.पी.ओ. देहरादून से उनके कार्यालय में दिनांक 25/08/14 को प्राप्त कराया गया था के सम्बन्ध में जांच करें कि उक्त डाक उनके सम्मुख किन कारणों से प्रस्तुत नहीं की गयी, तथा इस सम्बन्ध में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही कर आयोग को स्पष्ट आख्या भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें

11. लोक सूचना अधिकारी /अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार के द्वारा अपीलकर्ता के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयी हो, उसकी आख्या प्राप्त कर अपीलकर्ता को उसकी प्रति पंजीकृत डाक से प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषित करें.

उपरोक्त निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है.

आदेश की प्रति उभय पक्षों को आदेश के अनुपालनार्थ निर्गत हो.

आज खुले में घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित.

19/11/2014

19/11/14

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग